फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

...लाल व अन्य .... बनाम श्रीमति कौशल्या देवी व अन्य ....

...म मुकदमा 88,,88 मुकदमा नम्बर 71/2007......सन ....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
10.12.2019	पत्रावली पेश हुई। वकिल उभय पक्ष उपस्थित । वकिल उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3, 9 जा.दी. सपठित धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया । वादी/प्रार्थी का कथन है कि वादी संख्या 6 सुवा पुत्र श्री किशन का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान धमा, सीताराम,भागचन्द, पूरण है। उक्त वारिसान को मृतक का राईट टू स्यू सरवाईव करता है एवं मृतक के अन्य कोई वारिसान जाना जानकारी में नही है। गत पेशी दिनांक 9.7.2019 को श्रीमति मूली पत्नि स्व0 श्री रतन माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिरहुई तब जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर मृतक वादी संख्या 6 सुवा का नाम रिकार्ड से हजफ करउसके स्थान पर उपरोक्त वर्णित वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आदेश प्रदान करावे एवं यदि माननीय न्यायालय अबेट होना माने तो अबेटमेट सेटअसाईड फरमावे एवं उपरोक्त कारणो से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत में लगा समय क्षमा फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद शुमार फरमावे। वकिल वादी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1988 पेज 606 से 607 प्रस्तुत किये। वकिल अप्राथी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब में अकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि वादी संख्या 6 सुवा के स्वर्गवास की तारीख माह सन ही नही दर्शाया गया है । इस कारण प्रथम दृष्टया आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही वाद कारण वाद के कम संख्या 7 में सयुक्त बताया गया है। जो कि वाद कारण पृथक किये जाने योग्य नही है। इस कारण सम्पूर्ण वाद ही उपसम्मित किये जाने योग्य है। वाद में 9 वादीगण जो एक ही परिवार के सदस्य है । इसलिए यह नही माना जा सकता की सुवा की मृत्यु की जानकारी सभी वादीगण को नही हो । जानकारी होते हुए भी बिना तारीख सन माह बताये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए वाद को उपसम्मन के आधार पर खारिज फरमावे । हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई । पत्रावली का	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.12 15:36:10 IST
Reason: SelfAttested